NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : NCRES/71/76/21 Date : 8.6.2021

श्रीमान महाप्रबंधक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय :– कोविड–19 के संक्रमण से मृत रेल कर्मचारियों के आश्रितो को बिना परीक्षा के शैक्षिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति दिया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि हाल ही में कोविड–19 महामारी में कोरोना सक्रमण से नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के 100 से अधिक कर्मचारियों की जान जा चुकी है एवं इनमें से ज्यादातर NPS स्टाफ है जिनको मृत्यु के पश्चात कोई भी भुगतान नही किया जाता, ऐसे परिवारो में अपने एक मात्र कमाने वाले शख्स को खोने के बाद आय के समस्त साधन समाप्त हो गये है एवं उनके सामने अपने बच्चो को पालने, उनकी फीस आदि देने में भी कठिनाई आने लगी है।

यहाँ यह कहना भी महत्वपूर्ण होगा कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों की मृत्यु के कारण अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति देने में भी अधिक समय लग रहा है। इसके अतिरिक्त अपने परिवार के सदस्य को खोने के पश्चात जो ग्रेजएट या अन्डर ग्रेजुएट स्तर की योग्यता रखते है वे सभी इस मानसिक स्थिति में नही है कि वे परीक्षा दे सके एवं पास हो सकें।

अतः NCRES का अनुरोध है कि कोविड–19 महामारी को देखते हुये कोरोना सक्रमण से हुई मृत्यु के मामले में अनुकम्पा आधार पर दी जाने वाली नियुक्ति के नियमो में स्पेशल तौर पर केवल एक बार छूट (One time exemption) देते हुये पात्र उम्मीदवारो को बिना परीक्षा के केवल शैक्षिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति देने हेतु उचित आदेश करने का कष्ट करें ताकि महामारी से पीड़ित ऐसे परिवारो को तुरन्त मदद मिल सके।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

प्रतिलिपि :– प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज